(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(zfa) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

[F. No. 354/173/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.30/2017-Central Tax (Rate) dated the 29th September, 2017 *vide* number G.S.R. 1211(E). dated the 29th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 33/2017- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1275(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0का0नि0 692(अ), दिनांक, 28 जून,2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :—

(iii) सारणी मेंक्रम सं. 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,—

"10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक।"।

[फा. सं. 354/173/2017 –टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/ 2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 22/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1047 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 33/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the

Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28thJune, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table,after serial number9and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted,namely:—

"10	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.".

[F. No. 354/173/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No. 22/2017-Central Tax (Rate) dated the 22ndAugust, 2017 *vide* number G.S.R. 1047(E), dated the 22ndAugust, 2017.

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 33/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1276(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:—

(i) सारणी में—

(क) क्रम सं. 5 में, कालम (3) में शब्दों " सरकारी प्राधिकारी " के स्थान पर "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं. 10ख और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10 ग	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम सं. 22 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22क	शीर्ष 9965 or शीर्ष 9967	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति,जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:- (क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63) के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशाषित कोई कारख़ाना; या	कुछ नहीं	कुछ नहीं";